

नं० प्र०/०११ - 12 / 2000
राँची, दिनांक 14.7.01..

अधिसूचना
=====

संख्या _____ / चूंकि झारखण्ड राज्यपाल को यह समाधान हो गया है कि 15 नवम्बर, 2000 से झारखण्ड राज्य के अस्तित्व में आ जाने के फलस्वरूप एकीकृत बिहार राज्य की तरह इस राज्य की भौगोलिक सीमा क्षेत्र में संघानित जिला-प्राथमिक शिक्षा कोष/ग्राम - 141 के कार्यान्वयन हेतु झारखण्ड शिक्षा परिषोजना परिषद के गठन की अपरिहार्यता है। अतः सौभाग्यवती रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 1860 की धारा 21 के अन्तर्गत तात्कालिक प्रभाव से झारखण्ड राज्य में झारखण्ड शिक्षा परिषोजना परिषद का गठन किया जाता है। जिसकी नियंजन संख्या - 4 वर्ष - 2000-2001 है।

2- बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 87 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तात्काल झारखण्ड शिक्षा परिषोजना परिषद के कार्यों के संभालन एवं निष्पादन हेतु भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक वरीय पदाधिकारी राज्य परिषोजना निदेशक के रूप में नियुक्त की जायें जिनमें परिषद की सभी शक्तियाँ सन्निहित होंगी।

3- झारखण्ड शिक्षा परिषोजना परिषद नियमावली अधिनियम से प्रस्थापित की जायेगी।


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से


सं० प्र०/पाण्डेय: 7.7.01
राँची

मानव संसाधन विकास विभाग

आषांक 449 / राँची, दिनांक 14.7.01

प्रतिलिपि: झारखण्ड सरकार के सभी विभाग/ विभागाध्यक्ष/सभी प्रमुख/सभी उपमुख्य/सभी उपाध्यक्ष/सभी उप विकास आयुक्त/ सभी क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक/ सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/ सभी जिला शिक्षा अधीक्षक/ जिला विद्यालय निरीक्षक/ सभी अवर प्रमुख शिक्षा पदाधिकारी/ सभी जिला कलेक्टर पदाधिकारी को सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सं० प्र०/पाण्डेय: 7.7.01
राँची

मानव संसाधन विकास विभाग

आषांक 442 / राँची, दिनांक 14-07-2001

प्रतिलिपि: अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, झारखण्ड, राँची को झारखण्ड नजद के आसारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।


सं० प्र०/पाण्डेय: 7.7.01
राँची

मानव संसाधन विकास विभाग

राँची

पत्रांक- 557
भारखंड सरकार
निबंधन महानिरीक्षक का कार्यालय
भारखंड, राँची ।

शुभक,

पोल कारखाना
उपनिबंधन महानिरीक्षक,
भारखंड, राँची ।

तथा में,

तयिब/महासभ,

भारखंड शिक्षण परिशेजना पारखंड,
राँची ।

राँची, दिनांक- 15-10-2001

बिषय:- स्मृति-पत्र, नियमावली एवं प्रमाण-पत्र की तय्यी प्रतिलिपि निर्गत करने के संबंध में ।

महासाभ,

उपर्युक्त बिषय के संबंध में कहना है कि संस्था की स्मृति-पत्र, नियमावली एवं प्रमाण-पत्र की तय्यी प्रतिलिपि निर्गत की जाती है ।

कृपया प्राप्त स्वीकार की जाइ ।

बिषयासभापन

उपनिबंधन महानिरीक्षक,
भारखंड, राँची ।



Nº 000008

संस्थाओं के निबन्धन का प्रमाण-पत्र

(ऐक्ट 21. 1860)

संख्या 4

वर्ष 200 - 200

में इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि **स्कारब्लैंड शिक्षा परिषाजाना परिषद**



सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 21, 1860 के अधीन आज यथावत् निबन्धित हुआ/हुई ।
आज तारीखवार ६ मास अगस्त वर्ष दो हजार एक को राँची में मेरे हस्ताक्षर के साथ दिया गया ।

स्कारब्लैंड

निबन्धन, महानिरीक्षक, निबन्धन, झारखण्ड, राँची ।
स्कारब्लैंड महानिरीक्षक
झारखण्ड, राँची

गोवर्धनमेठ ब्रेस, राँची ।